न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/68/2021	2021/138	08.10.2021	05.05.2026

1.सैनू पुत्र भम्बू, जाति मेव उम्र करीब 50 साल, निवासी धोली कोठी, मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज.––मृतक
1/1.सलीमन पत्नी सैनू जाति मेव,
1/2.इलियास पुत्र सैनू, जाति मेव,
1/3.उमरदीन पुत्र सैनू, जाति मेव,
1/4.तौकीन पुत्र सैनू, जाति मेव, निवासीयान धोली कोठी मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगण जिला अलवर।
1/5.उमरबी पुत्री सैनू पत्नी लीला खां, जाति मेव, हाल निवासी पीपलू तहसील नगर जिला भरतपुर।
1/6.शैरूना पुत्री सैनू पत्नी हारून, जाति मेव, हाल निवासी ग्राम डभावली तहसील नगर जिला भरतपुर।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1.किशोरी पुत्र नत्थुराम, जाति बलाई, उम्र करीब 65 साल, निवासी ग्राम नांगल सोहन तहसील राजगढ, जिला अलवर––मृतक
1/1.दुलीचन्द स्व0 किशोरी,
1/2.सन्तरा पुत्र स्व0 किशोरी, जाति बलाई, निवासीयान ग्राम नांगल सोहन तहसील राजगढ, जिला अलवर।

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 24.07.2017 बमुकदमा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2016 जिसके जरिये प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बेजा व खिलाफ कानून स्वीकार फरमाते हुए विवादित आराजी खसरा न0 1470/2 रकबा 0.63 है0 वाके मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ से मिन अपीलांट को बेदखल किये जाने का आदेश सादिर फरमाया गया, वास्ते निरस्त फरमाये जाने उक्त आज्ञा।

उपस्थितः–
01. श्री के0जी0 खण्डेलवाल –वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील रेस्पोडेंट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 के निर्णय दिनांक 24.07.2017 प्रकरण संख्या 01/2016 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर0टी0एक्ट0 के तहत दिनांक 15.09.2007 को असरूदीन व सरपूदीन पुत्रान कजोडी के खिलाफ प्रस्तुत किया, और जिसमें यह आरोप लगाया कि उन्होने दिनांक 05.02.2009 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

जबरन आराजी खसरा नम्बर 1470 मिन रकबा 0.63 हैक्टर वाके ग्राम मौजपुर पर जबरन कब्जा कर लिया है, उसे घुसने नहीं दिया, जिन्हें बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में उक्त असरूदीन व सरपूदीन ने अपना कब्जा होने से इन्कार किया और यह दर्ज किया कि मौके पर सैनू पुत्र भम्बू भेव का कब्जा है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। जिराके खिलाफ रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील दायर करने पर माननीय अतिरिक्त जिलाधीश अलवर द्वारा अपील को स्वीकार फरमाते हुए पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने का आदेश सादिर फरमाया गया कि कब्जे के संबंध में जॉच करके जिसका कब्जा हो उसे पक्षकार बनाया जाकर उसे सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिया जाकर पुनः निर्णय किया जावे। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः एक संशोधित प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आक्षेप लगाया कि आराजी खसरा नम्बर 1470/2 रकबा 0.63 हैक्टर वाके मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ में अपीलान्ट ने दिनांक 05.02.2009 को लट्ठ के बल पर जबरन कब्जा कर लिया है और मिला लिया है, इस प्रकार जबरदस्ती नाजायज रूप से गैर कानूनी तरीके से अनुसूचित जाति की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है उसे बेदखल करके कब्जा वापिस दिलाया जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2014 के तहत उक्त आदेश सादिर फरमाया है, जिसके खिलाफ यह अपील पेश है।

अपील हाजा आदेश की तिथि दिनांक 14.07. 2017 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है, जिस पर न्यायालय शुल्क – रूपया चस्पा है। अपील हाजा न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्ज किया है कि उसने आराजी खसरा नम्बर 1470 मिन 2 रकबा 0.63 हैक्टर वाके ग्राम मौजपुर जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.02.2007 को रामजीलाल पुत्र मूल्या हरिजन से खरीद की है, जबकि दिनांक 30.04.2008 को जो रिपोर्ट मौका पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से यह दर्ज किया है कि मौके पर उक्त आराजी पर केता एवं विक्रेता दोनों का कब्जा नहीं है। बल्कि उक्त आराजी पर सैनू पुत्र भम्बू मेव निवासी धौली कोठी का कब्जा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कब्जा रेस्पोडेन्ट की खरीद से पूर्व से चला आ रहा है। इस प्रकार दिनांक 05.02.2009 को किसी प्रकार से कब्जा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। रेस्पोडेन्ट ने अपने पूर्व प्रार्थना पत्र में यह दर्ज किया है कि दिनांक 05.02.2009 को असरूदीन व सरपूदीन ने नाजायज कब्जा कर लिया। जबकि मौजूदा प्रार्थना पत्र में उसी तारीख को मिन अपीलान्ट द्वारा नाजायज कब्जा करना जाहिर किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा मौके पर नहीं था और ना ही उसे यह जानकारी है कि उसकी कथित आराजी पर कब व किसने नाजायज कब्जा कर लिया। महज सरपूदीन व असरूदीन के कहने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि मिन अपीलान्ट का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा हो। अपीलान्ट का बयान दिनांक 07.08.2009 को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उसने यह दर्ज कराया है कि खसरा नम्बर 1470 के बीच वाले हिस्से को डोल तोडकर मिला लिया। जिरह में यह कहा है कि मैं सैनू पुत्र भम्बू मेव को नहीं जानता। बीच में सरपूदीन का कब्जा है। इस प्रकार जब स्वयं रेस्पोडेन्ट अपने बयानो में बीच वाले हिस्से पर सरपूदीन का कब्जा होना मानता है तो फिर खसरा नम्बर 1470 का बीच वाले हिस्से को तोडकर किस प्रकार मिलाया जा सकता है, जो काबिल गौर श्रीमान है। जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि खसरा नम्बर 1470 को मेरे खरीदने से पहले सैनू, सरपू व बोबदी का कब्जा था। जिसका अर्थ यह हुआ कि विक्रेता रामजीलाल का कब्जा ही नहीं था। तो किशोरी को कब्जा किस प्रकार दिया जा सकता था।

इसी आराजी की बाबत एक तकसीम का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के न्यायालय में बोबदी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें फाईनल डिक्री के अनुसार जो तितम्बा काटा गया उसके अनुसार खसरा नम्बर 1470/1 तरफ पूर्व को काटा गया व तरफ पश्चिम को 1470/2 काटा गया एवं बीच में 1470/3 काटा गया। जो किसी भी प्रकार से क्रमशः नहीं है और इस बाबत तहसीलदार लक्ष्मणगढ में अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज किया है कि खसरा नम्बर का कमशः पूर्व से पश्चिम 02, 03. 01 कमशः नहीं आता है, जो कि नम्वरान का दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट में जो हिस्सा 1470/2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रकबा 0.63 हेक्टर किशोरी को दिया जाना बताया गया है उसमें भी यह दर्ज किया है कि वर्तमान में एक कच्ची झोपडी व बोगा बना हुआ है व सैनू पुत्र भम्बू का कब्जा काश्त करना बताया है। उक्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार किशोरी को खसरा नम्बर 1470/2 दिया जाना बताया गया हैं। जबकि उसने अपनी प्रार्थना पत्र में व अपने बयानात में यह दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1470 के तरफ पूर्व को नाजायज कब्जा कर लिया है एवं कुरेजात के अनुसार तरफ पूर्व को 1470/1 होना बताया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने कभी भी रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं किया बल्कि वास्तव में मिन रेस्पोडेन्ट का कब्जा उस हिस्से पर है जो कुरेजात के अनुसार असरूदीन व सरपूदीन को दिया गया है। चूंकि असरूदीन व सरपूदीन जाति से मेव है और उन्होने रेस्पोडेन्ट जो कि एक अनुसूचित जाति का सदस्य है, से मिल्लत करके मिन अपीलान्ट के कब्जे से आराजी को निकालने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया है। क्योकि असरूदीन व सरपूदीन धारा 183बी के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते थे। अपीलान्ट ने जानबूझकर कर रामजीलाल पुत्र मूल्या जिससे उसके द्वारा आराजी खरीद करना बताया गया है को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सही तथ्य जाहिर नहीं हो सके। इसके साथ ही असरूदीन व सरपूदीन को भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो आवश्यकत था। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश अलवर के रिमाण्ड आदेश के अनुसार संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसी सूरत में जो संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह ना काबिल पेशरफत था। एवं रेस्पोडेन्ट को पूर्व प्रार्थना पत्र में ही मिन अपीलान्ट को पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही करनी चाहिये थी। अधिनस्थ न्यायालय ने मिन अपीलान्ट को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया, जिससे मेरा केस गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। शेष उजात वक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः अपील हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय साहब तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 24.07.2017 निरस्त फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉड तलब किया गया।

- सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

- वकील अपीलांट्स द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि किशोरी ने अपने पहले प्रार्थना पत्र 2007 में आरोप लगाया था कि कब्जा असरूदीन व सरपूदीन ने किया है। बाद में संशोधित प्रार्थना पत्र में उसी तिथि 05.02.2009 को कब्जा अपीलान्ट द्वारा किया जाना बताया। एक ही भूमि पर एक ही तिथि को दो अलग–अलग पक्षों द्वारा कब्जा किया जाना असंभव है। रेस्पोंडेंट को स्वयं नहीं पता कि कब्जा किसका है और उसने केवल अपीलान्ट को परेशान करने के लिए नाम बदला है। दिनांक 30.04.2008 की पटवारी रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि उस समय न तो विक्रेता रामजीलाल का कब्जा था और न ही क्रेता/रेस्पोंडेंट का। मौके पर सैनू पुत्र भम्बू का कब्जा दर्ज था। धारा 183–बी के तहत बेदखली तभी हो सकती है जब प्रार्थी का कब्जा जबरन छीना गया हो। जब रेस्पोंडेंट का कभी कब्जा रहा ही नहीं, तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। रेस्पोंडेंट ने स्वीकार किया है कि खरीदने से पहले भी वहां सैनू, सरपू और बोबदी का कब्जा था। यदि विक्रेता रामजीलाल के पास कब्जा ही नहीं था, तो वह रजिस्ट्री के माध्यम से रेस्पोंडेंट को कब्जा कैसे दे सकता था। विभाजन/तकसीम के वाद में जो कुरेजात रिपोर्ट आई, उसमें खसरा नंबरों का क्रम 1470/1, 2, 3 पूर्व से पश्चिम सही नहीं है। रेस्पोंडेंट पूर्व की ओर कब्जा बता रहा है, जबकि कागजों में उसे पश्चिम या मध्य का हिस्सा आवंटित है। जब तक आराजी की पहचान और सीमांकन स्पष्ट न

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हो, तब तक बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त जिलाधीश (ADM) के रिमाण्ड आदेश में 'संशोधित प्रार्थना पत्र' पेश करने का कोई निर्देश नहीं था। केवल मौजूदा मामले में पक्षकार बनाकर जांच करने का आदेश था। नया प्रार्थना पत्र पेश करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। साथ ही, अपीलान्ट को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। रेस्पोंडेंट ने न तो मूल विक्रेता रामजीलाल को गवाह बनाया और न ही असरूदीन/सरपूदीन जिनका नाम उसने पहले प्रार्थना पत्र में लिया था। असरूदीन व सरपूदीन स्वयं धारा 183–बी के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते थे क्योंकि वे SC/ST श्रेणी से नहीं हैं, इसलिए उन्होंने रेस्पोंडेंट को मोहरा बनाकर अपीलान्ट के पुराने कब्जे को हटाने की साजिश रची है। दुलीचन्द पुत्र किशोरी बलाई द्वारा एक एफआईआर 49/2016 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ में दर्ज करवाई तथा जिसके संबंध में वाद विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति (अ0नि0) अधिनियम अलवर के प्रकरण संख्या 27/30/2016 में दिनांक 11.05.2022 को निर्णय पारित कर प्रस्तुत नाराजगी याचिका अस्वीकार की जाकर एफ आर अदम वकू झूंठ में स्वीकार की। जिसकील अपील रेस्पोडेंट्स द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.07.2017 पूर्णतः तथ्यों की अनदेखी और कानूनी त्रुटियों पर आधारित है। अपीलान्ट का कब्जा रेस्पोंडेंट की खरीद से भी पहले का है और रेस्पोंडेंट अपना कब्जा सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त किया जावे। अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा वकील अपीलांट्स द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि आराजी खसरा न0 1470 का आवंटन तीन व्यक्तियों बोबदी, सपरूदीन व रामजीलाल को हुआ। रामजीलाल द्वारा अपने हिस्से को दिनांक 02.02.2007 को जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान कर दिया। दिनांक 20.02.2007 को उक्त का नामान्तकरण दर्ज हो गया। रेस्पोडेंट किशोरी द्वारा एक प्रार्थना दिनांक 05.02.2009 को जबरन कब्जे के आधार पर दिनांक 15.05.2009 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ के यहां प्रस्तुत किया गया जिसमें असरूदीन व सरपुदीन का जबरन कब्जा होना बताया। जिसे न्यायालय तहसील लक्ष्मणगढ द्वारा स्वीकार कर कब्जा किशोरी को सम्भलवाने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा एडीएम कोर्ट में पेश की जिसे दिनांक 14.10.2010 को रिमाण्ड कर निर्णय पारित किया गया और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। एडीएम के निर्णय के उपरांत एक संशोधित अपील लगाई गई। जिसका जबाब 13.12.2012 को सैनू का जबाब पेश किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 24.07.2017 को आदेश देकर अपीलांट सैनू को बेदखल किया गया तथा रेस्पोंडेंट किशोरी को कब्जा सम्भलवाने हेतु आदेशित किया। विभाजन का एक दावा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के यहां विचाराधीन था जिसे दिनांक 03.11.20110 को निर्णित कर दिया गया। जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा यथावत रखा गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.04.2008 किशोरी की अनुपस्थिति में तैयार की गई। चूंकि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी माना गया है तो अतिक्रमी को बताना होगा कि किस हैसियत से अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी को कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। धारा 183बी के शर्तों के अनुसार मैं खातेदार था, अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हूं तथा एसडीओ द्वारा बंटवारा किया गया है। धारा 183 बी में 12 वर्ष की शर्त नहीं है, 12 वर्ष की शर्त 183 में है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, विवादित आराजी खसरा नं. 1470/2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रकबा 0.63 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ से अपीलान्ट्स को बेदखल करने का आदेश पारित किया था।

रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रारंभिक प्रार्थना पत्र 2007 में यह आरोप लगाया था कि दिनांक 05.02.2009 को असरूदीन व सरपूदीन ने आराजी पर जबरन कब्जा किया। परन्तु बाद में प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र में उसी तिथि 05.02.2009 को अपीलान्ट सैनू द्वारा बलपूर्वक कब्जा करना बताया गया। एक ही भूमि पर, एक ही दिन, दो अलग–अलग पक्षों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया जाना व्यावहारिक व तार्किक रूप से असंभव है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। दिनांक 30.04.2008 की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार उस समय विवादित आराजी पर न तो मूल विक्रेता रामजीलाल का कब्जा था और न ही क्रेता किशोरी का। उस समय भी मौके पर सैनू पुत्र भम्बू का कब्जा दर्ज था। जब वर्ष 2008 में ही रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं था, तो दिनांक 05.02.2009 को उसका कब्जा छीने जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कब्जा हस्तांतरित नहीं कर सकता, जो उसके पास स्वयं न हो। जब विक्रेता रामजीलाल का स्वयं का कब्जा मौके पर नहीं था, तो वह पंजीकृत बयनामा दिनांक 02.02.2007 के माध्यम से किशोरी को भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं कर सकता था। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में चले विभाजन वाद और कुरेजात रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1470/1, 1470/2 और 1470/3 का क्रम त्रुटिपूर्ण है क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट पूर्व की ओर अतिक्रमण बता रहा है, जबकि दस्तावेजों के अनुसार उसे पश्चिम या मध्य का हिस्सा आवंटित है। भूमि की स्पष्ट पहचान और सीमांकन के अभाव में बेदखली का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दर्ज कराई गई FIR 49/2016 में पुलिस जांच के बाद एफ.आर. अदम वकू/झूठी रिपोर्ट लगाई गई, जिसे विशिष्ट न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2022 को एफ.आर. अदम वकू/झूठी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। रेस्पोन्डेन्ट ने इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की। इससे प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट्स द्वारा कोई आपराधिक अतिचार या बलपूर्वक बेदखली नहीं की गई थी। धारा 183 बी के तहत यह अनिवार्य है कि प्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा रहा हो और उसे किसी गैर–खातेदार द्वारा बलपूर्वक बेदखल किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट अपना पूर्व–कब्जा और बलपूर्वक बेदखली की घटना को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। रेस्पोन्डेन्ट यह साबित करने में विफल रहा है कि उसका मौके पर कभी भौतिक कब्जा था। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 24.07.2017 को पारित आदेश साक्ष्यों के विपरीत, त्रुटिपूर्ण और विधि सम्मत नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2017 को निरस्त किया जाता है। तहसील लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए, कब्जा की जाचं की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार